

विज्ञापन पोस्ट के अन्तर्गत दाक
ब्लॉक के जगत भूगणना (विना दाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट,38 सि. सं.
विलास, दिनांक 30-5-2007 "

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2010-2011"



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2011—पृष्ठ 7, भाग 1533

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, डाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-43/2011/32.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा
प्रदत्त अधिकारों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एहदद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा,
सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), उक्त अधिकारी एवं अस्थायी
प्राधिकारी का पदव्यवस्था अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यपालन/विकास अधिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा में प्रदान की जाने है	सेवा प्रदान करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	व्यक्त अधिकारी	अस्थायी प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	भवनोन्मुखणों के अनुबंध का निष्पादन/ पंजीयन करना	30	कार्यपालन अभियंता/ संपदा अधिकारी	उपयुक्त	अपर अनुकल/ आयुक्त
2.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	देय किरातों की जानकारी उपलब्ध करना	20	कार्यपालन अभियंता/ संपदा अधिकारी	उपयुक्त	अपर अनुकल/ आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	आवंटित भू-खण्ड पर निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र का निराकरण.	30	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
4.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	भवन/भू-खण्ड हेतु जमा राशि की वापसी हेतु पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन का निराकरण.	30	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
5.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	भवन/भू-खण्ड के आवंटन हेतु लाटरी परचात् आवंटन जारी करना.	30	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
6.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	भाड़ा क्रय पर आवंटित सम्पत्ति पर अन्य व्यक्ति का नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन का निराकरण.	30	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त
7.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल	अंतिम आवंटन आदेश के अनुसार हितग्राही द्वारा देय पूर्ण राशि जमा करने के परचात् हितग्राही भवनों का अधिपत्य प्रदान करना.	45	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	उपायुक्त	अपर आयुक्त/आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बीजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.